31

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1930–तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29–07–92 के द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 48/87–88/निगरानी.

.....

1– विधा प्रसाद तनय शिवमूरत प्रसाद
निवासी कुसपरी तहसील गोपद वनास
जिला सीधी म0प्र।

2. केमला प्रसाद तनय त्रिभुवन पटेल
निवासी कुसपरी तहसील गोपद वनास
जिला सीधी म0प्र।

3. रामगोपाल तनय विन्द्रवन

4. रामकुमार तनया विन्द्रवन
निवासीगण कुसपरी तहसील
गोपद वनास जिला सीधी म0प्र।

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.रामसिया पटेल तनय जगन्नाथ पटेल

2.नन्द किशोर तनय महावीर पटेल

3.लाल तिवारी तनय रामावतार पटेल

4.मु.निचभी बेबा मुन्नीलाल

5.राम अभिलाश तनय मुन्नीलाल

6.रामाश्रय तनय मुन्नीलाल
निवासी– ग्राम कुसपरी तहसील
गोपद बनास. जिला–सीधी म0प्र0

–––अनावेदकगण

.....

श्री विनाद भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 03/11/2017 को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.92 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में इसे आगे संहिताकहा जायेगा) की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/अ6/75 के विरुद्व दायरा किया था। जिसका प्रकरण क्रमांक 73/अ–6/82–83 था। दिनांक 22.11.86 को अनावेदन एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित थे इसलिए अपील अदम पैरवी मे खारिज की गई इसके पहिले की पेशी में केवल नंन्द किशोर ही न्यायालय में उपस्थित था और दिनांक 11.12.86 को जब प्रकरण को पुनः स्थापित करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो केवल अनावेदक रामसिया ने ही आवेदन लगाया अन्य कि तरफ से कोई भी आवेदन प्रकरण को रेस्टोर्ड करने का नहीं लगाया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सभी लोगों की ओर से अपील स्वीकार कर लिया एवं समय सीमा में भी मान लिया तथा उसी के विरुद्व यह निगरनी इस न्यायालय में दायरा की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुध होने से निरस्त किए जाने योग्य । रामसिया दिनांक 22.11.86 को अनुपस्थित था और उसने ही केवल आवेदन पत्र लगाया तो उसके आवेदन पत्र समयावधि के बाहर था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे समयावधि अर्थात एक माह के अन्दर मानकर प्रकरण पुनःस्थापित करने की कानूनी भूल की है। आगे तर्क में कहा गया है कि प्रकरण पुनः स्थापित करने का आवेदन पत्र केवल अनावेदक की ओर से लगाया गया तो यदि प्रकरण पुनःस्थापित किया भी जाता तो केवल अनावेदक कमांक एक कि ओर से ही स्थापित किया जाता, अनावेदक क्रमांक एक ओर से नही फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सभी की ओर से प्रकरण का पुर्नस्थापित

करने की कानूनी भूल की है। प्रकरण जिस दिन खारिज हुआ था उस दिन अनावेदक क्र 1 न्यायालय में क्यो उपस्थित नहीं हुआ इसका कोई पर्याप्त कारण नही दिया जबकि यह आवश्यक है कि यदि पर्याप्त कारण न दिया गया हो तो प्रकरण पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता। अनावेदक कमांक 1 का कहना है कि घर मे तेरही थी और उसकी सूचना अपने वकील को दे दी थी लेकिन वकील का कोई भी हलफनामा इस बात का नहीं लगा है कि अधिवक्ता की कोई गलती मानी जावे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात का गौर न करके कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे। उनके द्वारा वह समय सीमा में भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अंत में निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा रेस्टोटर्ड आवेदन किया जाकर मूल प्रकरण कमांक 48/87–88 आदेश दिनांक 29.7.92 द्वारा रेस्टोर्ड करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनका आदेश उचित एवं विधि प्रावधनों से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 48/87–88/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.7.92 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर